

समाज कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट,
नई दिल्ली.

(विकलांग कल्याण शाखा)

एफ न 82/1003/RTI/AD-III/DSW/2015/Part-1/ 19429

दिनांक:

16 NOV 2015

सेवा मे,

श्री अंकित कुमार गौर,

पता -34/100 त्रिलोकपुरी,

दिल्ली -110091।

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

संदर्भ: एफ न. आई डी -2015390/आरटीआईसेल/ डीएसडबल्यू/2015-16/18942, 06/11/2015।

महोदय,

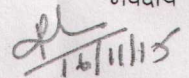
आपके द्वारा लिखा गया पत्र सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा में दिनांक 06/11/2015 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त विषय पर आपके द्वारा मांगी गई सूचना विकलांग कल्याण शाखा में उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार निम्न प्रकार है:-

प्रश्न संख्या	उत्तर/ जवाब
1.	इस शाखा से संबंधित नहीं है
2.	इस शाखा से संबंधित नहीं है
3.	समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सूची Annexure A के रूप में स्लंगन है।
4. & 5	समाज कल्याण विभाग पी. डब्ल्यू. डी. एक्ट. 1995 के अनुभाग 52 के तहत विकलांग के क्षेत्र में काम कर रही एनजीओ को पंजीकरण प्रदान करता है। वर्तमान में 71 एनजीओ इस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं जिनके सूची 02 रु प्रति पेज के अनुसार कुल 10 पेज का शुल्क देकर प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न का अन्य भाग इस शाखा से संबंधित नहीं है।
6.	इस शाखा से संबंधित नहीं है
7.	इस शाखा से संबंधित नहीं है

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी/ अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जी एल अन एस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002 के समक्ष अपील कर सकते हैं।

स्लंगन : उपरोक्त अनुसार

भवदीय



सहायक निदेशक (विकलांग)

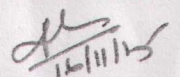
एफ न 82/1003/RTI/AD-III/DSW/2015/Part-1/ 19429

दिनांक:

16 NOV 2015

प्रतिलिपि:

- जन सूचना अधिकारी/ उप सचिव, कार्यालय मुख्य मंत्री, कमरा न. ए - 315, आर. टी. आई. सेल, तीसरा तल, दिल्ली सचिवालय, न्यू दिल्ली -110002।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर सेल, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जी एल अन एस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002 - समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- उपनिदेशक, आर. टी. आई. सेल, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जी एल अन एस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002- सूचना हेतु।



सहायक निदेशक (विकलांग)

1881/cc
16/11/2015

Welfare Services for Persons with Disability by Deptt. of Social Welfare**A. Six Homes for Mentally Challenged Persons**

Sl. No.	Name of Institutions
1.	Home for Mentally Retarded Persons (Male Children), Asha Kiran Complex, Avantika, Sector-1, Rohini, New Delhi-110085. Ph. 27510307
2.	Home for Mentally Retarded Persons (Male Adult), Asha Kiran Complex, Avantika, Sector-1, Rohini, New Delhi-110085. Ph. 27510307
3.	Institutions for Severally & Profoundly Mentally Retarded (for Female Children & Adult), Asha Kiran Complex, Avantika, Sector-1, Rohini, New Delhi-110085. Ph. 27522760
4.	School and Home for Mentally Retarded for Female (Annexe), Asha Kiran Complex, Avantika, Sector-1, Rohini, New Delhi-110085. Ph. 27522760
5.	Asha Deep Home for Mentally Challenged Male Adult, Narela, Delhi – 110040. Ph. 27785712
6.	Asha Jyoti Home for Mentally Challenged Female Adult, Nirmal Chayya Complex, Jail Road, Near Hari Nagar Bus Depot, Delhi. Ph 28526089

B. School for Mentally Challenged Children

1.	School for Mentally Retarded Children, Mayur Vihar, Phase-1, Delhi. Ph 22792910
----	---

C. Schools & One Hostel for Hearing Impaired Children

Sl. No.	Name of Institutions
1.	Govt. Secondary School for Deaf, PWD Barracks, B- Block, Kalkaji, Delhi-110019. Ph. 26235400
2.	Govt. Lady Noyce Sr. Sec. School for Deaf + Hostel, GLNS Complex, Ferozshah Kotla, Delhi Gate, New Delhi -110002. Ph. 23319419
3.	Govt. Lady Noyce Pre Primary/Primary School for Deaf, Nehru Vihar, Delhi. Ph. 23813570
4.	Nursery Primary School for Deaf, Mayur Vihar, Phase –I, Delhi. Ph 22792910
5.	Govt. Middle School for Deaf, NPS Bldg., Near Vishram Chowk, Sector-4, Rohini, New Delhi-110085. Ph. 27932625

D. Schools & Hostel for Visually Challenged students

Sl. No.	Name of Institutions
1.	Govt. Sr. Sec. School + Hostel for Blind Boys, Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, Delhi. Ph. 27655107
2.	Hostel for College Going Blind Boys, Sewa Kutir Complex Kings way camp, Delhi. Ph. 27652001

विकलांग कल्याण शाखा के अन्तर्गत 'नेशनल प्रोग्राम फोर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिस्एबिलिटीज' (एन.पी.आर.पी.डी.) की स्कीम है। इसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, (विकलांग कल्याण शाखा) निःशुल्क जन हेतु **General Disability Camp**, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से शिविर का आयोजन करता है इस शिविर(कैम्प) के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जैसे :-

- विकलांगता प्रमाण पत्र सरकार द्वारा नोटिफाइड क्षेत्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किया जाता है,
- विकलांगता पहचान पत्र क्षेत्रीय जिला आयुक्त के द्वारा जारी किया जाता है,
- इंटीग्रेटेड स्कूलों में पंजीकरण करने की सुविधा की जानकारी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती है,
- आउटजिम व सेरेब्रल पल्सी व्यक्तियों हेतु सेवाएं
- एड्स एण्ड अप्लाईसेज
- समाज कल्याण विभाग के वित्तीय सहायता योजना की फार्म

समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा विकलांगों को नियमानुसार 1500 रुपए मासिक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथी अपने क्षेत्र के जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।